

कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/ 46

दिनांक: 5/2/16

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/36-37 दिनांक 28.1.2016 की निरन्तरता में जल संसाधन विभाग के निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंता जो पंचायत राज विभाग के अधीन विभिन्न पंचायत समितियों में पदस्थापित हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति जल संसाधन विभाग में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ अभियंता	पंचायत समिति का नाम
1.	श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा	पंचायत समिति वैर
2.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	पंचायत समिति धौलपुर

उक्त कनिष्ठ अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नानुसार रिक्त पद पर अपनी उपस्थिति सात दिवस में प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ अभियंता	नव पदस्थापन स्थान
1.	श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा	अति.मुख्य अभियन्ता, इगानप, जैसलमेर के अधीन क.अ. के रिक्त पद पर
2.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	सावन भादो उपखण्ड द्वितीय, दरा मुख्यालय रामगंजमण्डी, (जल संसाधन खण्ड कोटा) के अधीन क.अ. के रिक्त पद पर

उक्त कनिष्ठ अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।




(विनोद शाह)
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 5/2/16

क्रमांक: एफ-2(7)स्थाना./मुअजसं/ 47

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ट सहायक, माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
- निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, जयपुर
- शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
- मुख्य अभियंता, इगानप, बीकानेर
- अतिरिक्त मुख्य अभियंता, इगानप, जैसलमेर/जल संसाधन संभाग, कोटा
- उप निदेशक (आई.टी.) जल संसाधन, सिंचाई भवन, जेएलएन मार्ग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड, कोटा
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता को तत्काल उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करावें।
- सहायक अभियंता, सावन भादो उपखण्ड द्वितीय दरा मुख्यालय रामगंजमण्डी
- श्री कनिष्ठ अभियंता द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
- रक्षा पत्रावली/निजी पत्रावली/अनुभाग द्वितीय



(अनिल अस्थाना)
अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)
वास्ते मुख्य अभियंता, जल संसाधन,
जयपुर